(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड– I में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 46 /(2015–2020)
नई दिल्ली, दिनांकः 9 नवम्बर, 2015

विषयः– प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 9.06 में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया–पुस्तक के पैरा 9.06 को संशोधित करते हैं जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

मौजूदा पैराः–

पैरा 9.06 खपत रजिस्टर

आयातक प्राधिकार–पत्र के तहत आयातित मदों के लिए परिशिष्ट 4–छ (तीन वर्षों की अवधि के लिए) के अनुसार और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त और दूसरी खपत के साथ आयातित मदों के लिए अलग से एक रजिस्टर रखेंगे। विशेष स्कीमों के संबंध में, ऐसे रजिस्टर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रखे जाएंगे।

सशोधित पैराः–

पैरा 9.06 खपत रजिस्टरः–

आयातक प्राधिकार–पत्र के तहत आयातित मदों के लिए **परिशिष्ट 4–ज** (तीन वर्षों की अवधि के लिए) के अनुसार और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त और दूसरी खपत के साथ आयातित मदों के लिए अलग से एक रजिस्टर रखेंगे। विशेष स्कीमों के संबंध में, ऐसे रजिस्टर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रखे जाएंगे।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः
पैरा 9.06 में आने वाले परिशिष्ट 4छ को संशोधित कर परिशिष्ट 4ज के रूप में पढ़ा जाएगा।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/93/180/66/एएम 16/पीसी–2(ख) से जारी)